MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



कुलपहाड पुलिस ने वारण्टी

अभियुक्त को किया गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी/वांछित अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड द्वारा गठित टीम के नेतृत्व में 01 नफर वारण्टी अभियुक्त अमित उर्फ अर्जुन अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष सम्बन्धित केस नं0 113/19 मु0अ0सं0 185/2018 धारा 354क/323/506 भादिव सम्बन्धित मां0 न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट कुलपहाड । अभियुक्त उपरोक्त को ग्राम लाडपुर से गिरफ्तार किया गया व विधिक कार्यवाही करते हुये मां0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

अमित उर्फ अर्जुन अहिरवार उम्र करीब 20 वर्ष निवासी ग्राम सिरमौर थाना कुलपहाड जनपद महोबा।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- (1) उ0नि0 कमलाकान्त मिश्रा थाना कुलपहाड़
- (2) PRD रमेशचन्द्र







MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



कुलपहाड पुलिस ने 02 नफर वांछित अभियुक्तों को किया

गिरफ्तारः-

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे वांछित/वारण्टी अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2020 को प्रभारी निरीक्षक थाना कुलपहाड द्वारा गठित टीम के नेतृत्व में थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 270/2020 धारा 326/504/506 भादवि से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. महेन्द्र सिंह पुत्र अशर्फीलाल यादव उम्र करीब 38 वर्ष व 2. सुगर सिंह पुत्र बल्लू यादव उम्र करीब 22 वर्ष को सुगिरा के आगे सतारी मोड के पास थाना कुलपहाड से गिरफ्तार किया गया अभियुक्तगण उपरोक्त को विधिक कार्यवाही करते हुये मां0 न्यायालय पेशी हेतु भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- (1) उ0नि0 विपिन प्रकाश सिंह, थाना कुलपहाड, महोबा।
- (2) कां0 मिथुन कुमार, थाना कुलपहाड, महोबा।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

- (1) महेन्द्र सिंह पुत्र अशर्फीलाल यादव उम्र करीब 38 वर्ष निवासी ग्राम सतारी थाना कुलपहाड जनपद महोबा
- (2) सुगर सिंह पुत्र बल्लू यादव उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम सेलाखालसा थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा







MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



अजनर पुलिस ने शातिर अपराधी को अवैध देशी तमंचे सहित किया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन पर तथा अपर पुलिस अधीक्षक श्री वीरेन्द्र कुमार व क्षेत्राधिकारी कुलपहाड श्री रामप्रवेश राय के कुशल पर्यवेक्षण में जनपदीय पुलिस द्वारा चलाये जा रहे शातिर गैंगेस्टर अभियुक्तो के धरपकड अभियान के क्रम में आज दिनांक 28.09.2020 को प्र0नि0 अजनर श्री विनोद कुमार प्रजापति के नेतृत्व में गठित टीम को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी जब टीम द्वारा मुखबिर की सूचना पर अभियुक्त संजय कुमार यादव पुत्र श्याम सिंह यादव उम्र 25 वर्ष को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ टैम्पो स्टैण्ड बछेछरकलां के पास से गिरफ्तार किया गया। जिसके आधार पर मु0अ0सं0 165/2020 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत करते हुये अभियुक्त उपरोक्त को मां0 न्यायालय भेजा गया।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण -

- 1. उ.नि. श्री यज्ञनारायण भार्गव थाना अजनर महोबा
- 2. का. नरेन्द्र बाबू थाना अजनर जनपद महोबा
- 3. का. अशोक कुमार थाना अजनर जनपद महोबा

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

संजय कुमार यादव पुत्र श्याम सिंह यादव उम्र 25 वर्ष निवासी ग्राम बछेछरखुर्द थाना कुलपहाड जनपद महोबा।

आपराधिक इतिहास अभियुक्त संजय कुमार यादव S/O श्री श्यामसिंह यादव उम्र 25 वर्ष नि. ग्राम बछेछरखुर्द थाना कुलपहाङ जिला महोबा

- 1.मु.अ.सं. 266/18 धारा 323/504506 भादवि व 3(1)द.ध., 3(2)5 क एससी/एसटी एक्ट थाना कुलपहाड़ जनपद महोबा।
- 2. मु.अ.सं. 57/19 धारा 392/411/3047 भादवि थाना मऊरानीपुर जनपद झाँसी।









MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



महोबा पुलिस द्वारा पैदल गस्त करके की गई संदिग्धों की चेकिंग व लोगो को कोविड-19 के प्रति किया गया जागरूक



आज दिनाँक 28.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में पैदल गस्त के दौरान चलाये जा रहे संवेदनशील/धार्मिक जगहो की चेकिंग एवं संदिग्धो/मास्क चेकिंग अभियान के तहत जनपद के समस्त थानो द्वारा अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त करके मुख्य बाजार, बस-स्टैण्ड, धार्मिक स्थलो सहित होटल/ढाबो/ दुकानो की चेकिंग की गई। इस

दौरान वहाँ कोविड-19 नियमों के तहत सैनेटाइजर/मास्क/सोशल डिस्टेन्सिंग आदि नियमों के बारे में लोगों को बताया गया। पैदल गस्त के दौरान लोगों को कोविड-19 संक्रमण को जागरुक भी किया गया। लोगों को घरों से बाहर निकलने पर मास्क लगाने व 02 गज की दूरी बनाये रखने की अपील की गई।





MAHOBA POLICE

सोशल मीडिया सेल



कोविड-19 के उल्लंघन पर किया गया

<u>40200/-रू0</u> का जुर्माना एवं यातायात नियमो के तहत किये गये ई-चालान



आज दिनाँक 28.09.2020 को पुलिस अधीक्षक महोबा श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के कुशल निर्देशन में कोविड-19 का पालन कराये जाने तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध चलाये जा रहे संघन चेिकंग/जागरुकता अभियान के तहत जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में चेिकंग की गई। जिसके तहत कोविड-19/यातायात नियमों के उल्लंघन पर समस्त थानो द्वारा कोविड-19 के तहत 223 व्यक्तियों से 40200/-रू0 जुर्माना वसूला गया तथा यातायात नियमों के उल्लंघन पर 32 ई-चालान किया गया।

जागरुकता अभियान के तहत लोगों को नोवल कोरोना वायरस के प्रति लोगों को जागरुक करते हुए घरों में सुरक्षित रहने तथा मास्क का शत-प्रतिशत प्रयोग करने व सोशल डिस्टेन्स (02 गज की दूरी) बनाये रखने की अपील की गई, जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

